न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –27 / 2020

अनवान : –

1. रोहताश पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

:–वादी

ब ना म

1. नन्दराम पुत्र रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. श्योकोरी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. संतोष पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. ओमप्रकाश पुत्र चंदो पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. पतराम पुत्र रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. बुधराम पुत्र रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
7. पूनमचंद पुत्र रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
8. कृष्णा पुत्री रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
9. नारायणी पुत्री रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

9ए गोमती पुत्री रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

10 मुकेश पुत्र इन्दावती पुत्री रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

11 निहालसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

12 रामसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

13 राजबाला पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

14 नाथीदेवी पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

15 सुभाष पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

16 संदीप कुमार सहारण पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

17 सुनील पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

18 सिलोचना पत्नी श्योनारायण जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री विनोद पुनियां वकील **वाद**
श्री उम्मेद मोठसरा वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय

दिनांक: 26/02/2020

वादी के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही चक 8 एमएसआर खाता सं0 55 / 50 के मु0 न0 52 के किला न0 6, 7, 13 ता 25, मु0 न0 65 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 6.452है0 व रोही मोजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 127 / 117 के खसरा सं0 456 / 1 की 2.972है0 बारानी प्रतिवादी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

नन्दराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। व इसी प्रकार रोही करनपुरा के खाता सं0 4/4 के खसरा सं0 327 की 3.414है0, खसरा सं0 666/456 की 0.152है0 कुल 3. 566है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी नन्दराम के नाम से 1/3 हिस्सा व वादी की दादी स्व0 अनकोरी के नाम 1/3 हिस्सा, वादी के ताउ स्व0 अमरसिंह के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा रेडाराम की खातेदारी हुआ करती थी। रेडाराम के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी नन्दराम के नाम से दर्ज है वह वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 18 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी नन्दराम कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी नन्दराम अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी नन्दराम के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। वादी की दादी अनकोरी का देहान्त होने पर अनकोरी के नाम दर्ज खातेदारी भूमि उसके पुत्र पुत्रियों को विरासतन में प्राप्त हो गई तथा वादी के ताउ अमरसिंह का देहान्त होने पर अमरसिंह की खातेदारी उसके वारिसान को प्राप्त हो गई।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 18 एवं वादी ने न्यायालय मे उपस्थित हेाकर अपना राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही पाई जाने के कारण साक्ष्यवादी में वादी रोहताष पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी रोही मौजा करनपुरा के खाता सं0 4/4 संवत 2070–73 प्रदर्श 1, जमाबंदी रोही चक 8एमएसआर के खाता सं0 55/50 संवत 2072–75 प्रदर्श 2, जमाबंदी करनपुरा बारानी के खाता सं0 127/117 संवत 2074–77 प्रदर्श 3, जमाबंदी रोही करनपुरा के खाता सं0 215 संवत 2029/38 प्रदर्श 4, जमाबंदी चक 8 एमएसआर के खाता सं0 54 संवत 2029–38 प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र ग्रम पंचायत करनपुरा प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही चक 8 एमएसआर खाता सं0 55/50 के मु0 न0 52 के किला न0 6, 7, 13 ता 25, मु0 न0 65 के किला न0 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 कुल 6.452है0 व रोही मोजा करनपुरा बारानी के खाता सं0 127/117 के खसरा सं0 456/1 की 2.972है0 बारानी प्रतिवादी नन्दराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। व इसी प्रकार रोही करनपुरा के खाता सं0 4/4 के खसरा सं0 327 की 3.414है0, खसरा सं0 666/456 की 0. 152है0 कुल 3.566है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी नन्दराम के नाम से 1/3 हिस्सा व वादी की दादी स्व0 अनकोरी के नाम 1/3 हिस्सा, वादी के ताउ स्व0 अमरसिंह के नाम 1/3 हिस्सा खातेदारी भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुये अपना राजीनामा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है रोही करनपुरा बारानी के खाता सं0 4/4 की 3.566 है0 में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1.783है0, चक 8 एमएसआर के खाता सं0 55/50 की 6.452है0 व चक करनुपरा बारानी के खाता सं0 127/117 की 2.972है0 भूमि जो प्रतिवादी नन्दराम के नाम दर्ज है उसमें वादी एवं प्रतिवादी सुभाष, नन्दराम संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संदीप कुमार सहारण, सुनील व सिलोचना संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व रोही करनपुरा बारानी के खाता सं0 4/4 की 3.566है0 में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1.783है0 भूमि के प्रतिवादी निहालसिंह व रामसिंह बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है में से अमरसिंह व अनकोरी का नाम कलमजन किया जावे। तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 10 के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 11, 12 व 15 ता 18 व प्रतिवादी सं0 13 व 14 के द्वारा प्रतिवादी सं0 11 व 12 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —27/2020

अनवान : —

1. रोहताष पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

:—वादी

ब ना म

1. नन्दराम पुत्र रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
2. श्योकोरी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
3. संतोष पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
4. ओमप्रकाश पुत्र चंदो पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
5. पतराम पुत्र रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
6. बुधराम पुत्र रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
7. पूनमचंद पुत्र रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
8. कृष्णा पुत्री रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।
9. नारायणी पुत्री रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

9ए गोमती पुत्री रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

10 मुकेश पुत्र इन्दावती पुत्री रामप्यारी पुत्री रेडाराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

11 निहालसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

12 रामसिंह पुत्र अमरसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

13 राजबाला पुत्री अमरसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

14 नाथीदेवी पत्नी अमरसिंह जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

15 सुभाष पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

16 संदीप कुमार सहारण पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

17 सुनील पुत्र श्योनारायण जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

18 सिलोचना पत्नी श्योनारायण जाति जाट निवासी करनपुरा तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88,राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादी श्री विनोद पुनिया एवं वकील प्रतिवादीगण उम्मेद मोठसरा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है रोही करनपुरा बारानी के खाता सं0 4/4 की 3.566 है0 में से 1/2 हिस्सा अर्थात 1.783है0, चक 8 एमएसआर के खाता सं0 55/50 की 6.452है0 व चक करनुपरा बारानी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

के खाता सं0 127/117 की 2.972है0 भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सुभाष, नन्दराम संयुक्त रूप से 3/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संदीप कुमार सहारण, सुनील व सिलोचना संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा व रोही करनपुरा बारानी के खाता सं0 4/4 की 3.566है0 में से 1/2 हिस्सा भुमि के प्रतिवादी निहालसिंह व रामसिंह बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार है व करनपुरा बारानी के खाता सं0 4/4 में से अमरसिंह व अनकोरी का नाम कलमजन किया जावे। तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 10 व के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 11, 12 व 15 ता 18 व प्रतिवादी सं0 13 व 14 के द्वारा प्रतिवादी सं0 11 व 12 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 26/02/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्डाधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज0)

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.13 17:44:44 IST
Reason: SelfAttested
Location: